

36115



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 817733

फोन नं० - 9889707930



दस्तावेज ट्रस्ट




हम कि सौरभ राय पुत्र श्री रामाद्या राय ग्राम फरसरा खुर्द पोस्ट गौठा तहसील घोसी जनपद मऊ आज दिनांक 30-7-2018 को जन कल्याण एवं समाज के उत्थान में सहयोग की भावना से अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक ट्रस्ट की स्थापना करते हैं। जिसका विलेख पत्र पंजियन अधिनियम 21, 1860 एवं भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत कराने हेतु निम्न विवरणानुसार प्रस्तुत है-

सौरभ राय



201930 कोतर (50) ता० 20-7-18 21.07.1916

देवेंद्र कुमार यादव
एटा में निवासे
तह. घोसी मऊ
ता. 46429



बही संख्या 4 जिल्द संख्या 20 के पृष्ठ
167 से 202 तक क्रमांक 36 पर दिनांक
30/07/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सत्येन्द्र कुमार यादव
उप निबंधक : घोसी
मऊ
30/07/2018.



श्री 201930 कोतर (50) ता० 20-7-18 21.07.1916



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 817734

1. ट्रस्ट का नाम- महालक्ष्मी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
2. ट्रस्ट कार्यालय का पता- दोहरीघाट, तहसील-घोसी, मऊ
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण भारत वर्ष
4. ट्रस्ट का उद्देश्य- समाज के सभी वर्गों को परम्परागत, रोजगारपरक, आधुनिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तम व्यवस्था उपलब्ध कराना ही इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है, जिसका विवरण निम्नवत् है -
 1. प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के विभिन्न संकायों के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्व विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना।
 2. संस्कृत भाषा के विकास एवं संवर्धन के लिए संस्कृत प्राथमिक विद्यालयों, उ०मा०विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

—सैधमराय—



Receipt

I have received of Mr. J. H. [Name] the sum of [Amount] in full for [Purpose] [Date]



RECEIVED BY [Name]

DATE [Date]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 817735

3. उर्दू भाषा के विकास हेतु तहकानिया, फोकानिया, मुंशी तथा मौलवीय स्तर के मकतब और मदरसों की स्थापना एवं संचालन करना।
4. भारत सरकार के विधिक उपक्रम एन.सी.टी.इ. या उसके समकक्ष गठित कोई अन्य विधिक उपक्रम के अधीन आने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु संस्थाओं या महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना।
5. यू०पी०बोर्ड, सी.बी.एस.ई बोर्ड एवं आई.सी.एस.ई.बोर्ड के अधीन नर्सरी से कक्षा 12 तक की विभिन्न संकायों में विद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना।
6. उ०प्र० सरकार एवं भारत सरकार द्वारा नियोजित नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के समस्त आवासीय, गैर आवासीय, औपचारिक/अनौपचारिक योजनाओं एवं प्रशिक्षणों का संचालन करना।
7. उ०प्र० मेडिकल फैकल्टी या उसके समकक्ष गठित किसी अन्य विधिक उपक्रम के अधीन नियोजित पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों का संचालन करना।

सौरभराय



Rs. 100

ONE

HUNDRED RUPEES

एक सौ रुपये

₹. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

ET 817732

भारत उत्तर प्रदेश

श्री गणेशाय नमः

महाराष्ट्र राज्य सरकार

महाराष्ट्र राज्य सरकार

महाराष्ट्र राज्य सरकार



महाराष्ट्र राज्य सरकार

महाराष्ट्र राज्य सरकार

महाराष्ट्र राज्य सरकार

महाराष्ट्र राज्य सरकार

महाराष्ट्र राज्य सरकार

महाराष्ट्र राज्य सरकार

महाराष्ट्र



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 817736

8. मेडिकल कालेज, हास्पिटल, नर्सिंग होम की स्थापना एवं संचालन करना।
9. तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत आई.टी.आई., पालिटेक्निक, इंजिनियरिंग, कालेजों की स्थापना करना।
10. लॉ कालेज की स्थापना करना।
11. राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न विधिक उपक्रमों के अधीन नियोजित लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना।
12. आपदा निवारण एवं अन्य राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर आवश्यकतानुसार शासन एवं प्रशासन को सहयोग करना।
13. एक गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) के रूप में प्रदान किये जाने वाले समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
14. अनाथालय, वृद्धाश्रम, समाचार पत्र, पत्रिकाओं का सम्पादन एवं संचालन करना।
15. उक्त समस्त कार्यों के सम्पादन हेतु अनुदान, चंदा, बजट धनराशि प्राप्त करना।

संस्थापक

Rs. 100

ONE

HUNDRED RUPEES

एक सौ रुपये

₹-100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

EE 81778

भारत उत्तर प्रदेश

महोदय, मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने आपसे एक सौ रुपये का चेक प्राप्त किया है।

धन्यवाद

आपका विश्वसनीय मित्र

मैंने आपका चेक बैंक में जमा कर दिया है और आपको सूचित कर दिया है।



आपका नाम और पता निम्नलिखित है:

नाम: श्री. राजेश कुमार सिंह

पता: 123, मुख्य मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

दिनांक: 15/05/2024



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 817737

5. ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टीज का विवरण—

क्र.सं.	पद	नाम	पिता/पति का नाम	पता
1.	मुख्य ट्रस्टी	सौरभ राय	रामाद्या राय	ग्राम-फरसरा खुर्द, पो0-गोंठा, मऊ
2.	प्रबन्ध ट्रस्टी	अवनीश कुमार राय	श्रीराम राय	ग्राम/पो0-पनईल, मऊ
3.	सदस्य ट्रस्टी	गौरव राय	रामाद्या राय	ग्राम-फरसरा खुर्द, पो0-गोंठा, मऊ
4.	सदस्य ट्रस्टी	चन्द्रशेखर राय	बिरिजाशंकर राय	ग्राम-गढ़ौरा मझौरा, पो0-चकलालचन्द, आजमगढ़
5.	सदस्य ट्रस्टी	कृष्ण मोहन सिंह	प्रभुनाथ सिंह	हरिवंशपुर, आजमगढ़
6.	सदस्य ट्रस्टी	रामकुमार राय	अम्बीश राय	विधियानी रोड, खलीलाबाद
7.	सदस्य ट्रस्टी	राजीव राय	श्यामनारायण राय	ग्राम-फरसरा खुर्द, पो0-गोंठा, मऊ

— सौरभ राय —



1999 बी.ए. 50 ता. 20-7-10 श.म. 1916

देवेन्द्र लाल पाण्डे
हत्या मंत्रालय लखनऊ
सं. ला. नं. 129



क्र.सं.	विवरण	दिनांक	स्थान
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 817738

6. ट्रस्ट के अनुमाग-

(क) प्रबन्धकारिणी समा-

1. गठन- ट्रस्ट की स्थापना के समय केवल एक अनुमाग रहेगा, जिसे ट्रस्टीज के रूप में जाना जायेगा। इसी ट्रस्टीज के समूह को प्रबन्धकारिणी समा कहा जायेगा। इनकी अधिकतम संख्या 7 होगी। जिनका विवरण निम्नवत है-

मुख्य ट्रस्टी- एक पद, प्रबन्ध ट्रस्टी- एक पद व ट्रस्टी- 5 पद।

2. बैठकें- सामान्य स्थिति में प्रबन्ध ट्रस्टी नियमानुसार बैठक बुलायेंगे। विशेष स्थिति में मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से कमी भी बैठक बुलाई जा सकती है।


3. सूचना अवधि- सामान्य स्थिति में प्रबन्ध ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर बैठक बुलायेंगे। परन्तु विशेष स्थिति में प्रबन्ध ट्रस्टी 12 घंटे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना फोन, डाक अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

—सौरभराय—



201928 बीकानेर 50) ता 20-3-78 210.00-1916

देवे इकाय एकाय
 (रिमिनिट) एकाय
 सकल का. न 129



ONE HUNDRED RUPEES
 INDIA
 INDIA NON JUDICIAL
 उत्तर प्रदेश

Faint, mostly illegible text in Hindi script, likely representing a document or receipt. The text is significantly faded and difficult to decipher.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 904663

4. गणपूर्ति— प्रबन्धकारिणी सभा की समस्त बैठकों की गणपूर्ति सभा के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

5. अधिकार एवं कर्तव्य—

(a) ट्रस्ट की बैठक बुलाना एवं उसका संचालन करना।

(b) ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद नयी समिति का गठन होने तक उसके दायित्वों का निर्वहन करना।

(c) ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्ध समिति में किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में संबंधित प्रबन्ध समिति के समस्त अधिकार ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी सभा में निहित हो जायेगा।

(d) ट्रस्ट का प्रबन्धन करना।

(e) आय व्यय का विवरण तैयार करके उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण सभा के सामने प्रस्तुत करना।

(f) अन्य वे सभी कार्य जो साधारण सभा द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

— श्रीमदाय —



201927 (मो.सं. 50) ता. 20-7-70 शि.सं. 1916

देशी इलाहाबाद
हत्या विवेक, ल.को.नी.
मक. ला.नं. 129



Faint, mostly illegible text in Hindi, likely a legal document or court order. The text is mirrored and bleed-through from the reverse side of the paper.



Handwritten signature or name at the bottom of the page.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 904664

(ख) साधारण समा-

1. गठन-साधारण समा का गठन आवश्यकतानुसार मुख्य ट्रस्टी, प्रबन्ध ट्रस्टी के सामूहिक निर्णय से होगा। जिसमें ट्रस्टीज के आलावा अधिकतम 8 व्यक्ति निर्धारित सदस्यता शुल्क रु0 1100 जमा करके सदस्यता ग्रहण करेंगे। जिनका कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होगा।

2. बैठकें- सामान्य स्थिति में प्रबन्ध ट्रस्टी नियमानुसार बैठक बुलायेंगे। परन्तु विशेष स्थिति में मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से कभी भी बैठक बुलायी जा सकती है।

3. सूचना अवधि- सामान्य स्थिति में प्रबन्ध ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर बैठक बुलायेंगे। परन्तु विशेष स्थिति में प्रबन्ध ट्रस्टी 12 घंटे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना फोन, डाक अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।


4. गणपूर्ति- प्रबन्धकारिणी समा की समस्त बैठकों की गणपूर्ति समा के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रमेश राम



n 1926 (कीमत 50) ता 20-7-10 211-00 1916

देने को मिला प्रमाण
ए. व. वि. व. ए. ए. ए.
मौलाना का. नं. 129



REVENUE
RESTO
INDIA
NON JUDICIAL

भारत सरकार (10)
— (10) का प्रमाणिक रूप दिखाने के लिए (10)
— (10) का प्रमाणिक रूप दिखाने के लिए (10)
— (10) का प्रमाणिक रूप दिखाने के लिए (10)
— (10) का प्रमाणिक रूप दिखाने के लिए (10)
— (10) का प्रमाणिक रूप दिखाने के लिए (10)
— (10) का प्रमाणिक रूप दिखाने के लिए (10)
— (10) का प्रमाणिक रूप दिखाने के लिए (10)
— (10) का प्रमाणिक रूप दिखाने के लिए (10)



संख्या: 129



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 904665

5. अधिकार एवं कर्तव्य—

(a) ट्रस्ट की बैठक बुलाना एवं उसका संचालन करना।

(b) ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद नयी समिति का गठन होने तक उसके दायित्वों का निर्वहन करना।

7- ट्रस्ट की सदस्यता, कार्यकाल एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति—


क) ट्रस्ट में कुल 7 ट्रस्टी होंगे। सभी ट्रस्टीज का कार्यकाल आजीवन होगा। यद्यपि कोई भी ट्रस्टीज अपने निजी कारणों से कभी भी पद छोड़ सकता है। पद छोड़ने या मृत्यु के कारण रिक्त हुए किसी ट्रस्टी का पद उसके वारिसान वरीयता के आधार पर धारण करेंगे। किसी विवाद की स्थिति में मुख्य ट्रस्टी, प्रबन्ध ट्रस्टी का सामूहिक निर्णय सर्वमान्य होगा।

रामेश्वर राय



1925 कीमत 50) ता 20-7-10 20-11-1916

देवे-इलायत...
एडमिनिस्ट्रेशन...
मक लो.नं.129



INDIA NON JUDICIAL

FOR LITIGATION PURPOSES

48 204882

Faint, illegible text in the middle section of the document.



Faint, illegible text in the lower section of the document.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 904666

ख) ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समिति के चुनाव हेतु एक साधारण सभा का गठन होगा, जिसमें उपरोक्त 7 ट्रस्टी के अतिरिक्त निर्धारित सदस्यता शुल्क रु 1100 जमा करने वाले अधिकतम 8 व्यक्ति आवश्यकतानुसार सदस्य बनाये जा सकेंगे। इन सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होगा। इन सदस्यों में यदि किसी सदस्य का स्थान असामयिक निधन, त्यागपत्र देने, दिवालियापन, पागलपन या सदस्यता शुल्क न जमा करने के कारण रिक्त होता है तो उसके स्थान पर मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।

8. ट्रस्टीज के अधिकार एवं कर्तव्य—

क) मुख्य ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य—

1. संस्था के साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. किसी विचारणीय विषय पर समानता होने पर एक निर्णायक मत देना।
3. मुख्य ट्रस्टी, प्रबन्ध ट्रस्टी की सहमति से किसी भी समय किसी भी सदस्य की सदस्यता कारण बताकर 2/3 बहुमत से समाप्त कर सकता है।
4. किसी भी समान उद्देश्य वाली किसी अन्य संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय मुख्य ट्रस्टी अपने ट्रस्ट में कर सकता है।

सौरभराय



20. 1924 (अक्टूबर 50) ता 20-7-18 21.11.1916

देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा -
(Comm. वि. 3) तह-बोर्ड
नं. 129

40 111 2010

Rs. 50

50

85 804868

INDIA NON JUDICIAL

(The text in this section is extremely faint and largely illegible, appearing to be a series of lines of text, possibly a list or a set of instructions, written in Hindi or English. It is located in the lower half of the page, below the stamp area.)



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 904667

ख) प्रबन्ध ट्रस्टी का अधिकार तथा कर्तव्य—

1. समस्त प्रपत्रों एवं प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये कार्यों के सम्पादन में ट्रस्ट की तरफ से हस्ताक्षर करना तथा कार्यान्वित करना।
2. ट्रस्ट के खाताओं का मुख्य ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से संचालन करना।
3. ट्रस्ट (न्यास) के विकास से संबंधित कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
4. ट्रस्ट के द्वारा संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति, निलंबन तथा बर्खास्तगी को अनुमोदन प्रदान करना।
5. प्रबन्ध ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिया गया कोई भी निर्णय सर्वमान्य होगा। परन्तु मुख्य ट्रस्टी की भी सहमति आवश्यक होगी।
6. ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खरीदने या बेचने के लिए प्रबन्ध ट्रस्टी व मुख्य ट्रस्टी का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।
7. ट्रस्ट एवं संबंधित संस्थाओं के समस्त पंजिका, कैश बुक, बैंक के पेपर आदि प्रबन्ध ट्रस्टी के पास ही रहेंगे।

सौरभराय



सं. २३ सी. नं. ५०) तारीख २०-७-१० २१.०७.१९१६

दोस्त-मेम फ्रीडम

हटाया विदेशी ता-बोली

सं. ८१-१४-१२९

सं. ३०५
२०१०

३० जून २०१०

१९३५ १९

भारत गणराज्य

— १९१६ में लागू की गई कानून का अनुसंधान

के अन्तर्गत इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो भारत के अन्तर्गत
से भारत के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत
के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत
के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत
के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत
के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत
के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत



के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत
के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत
के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत
के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत
के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत
के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत
के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत किसी भी देश में भारत के अन्तर्गत

२०१०
३० जून २०१०

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 904668

8. संस्थाओं के लिए भूमि भवन के क्रय एवं लीज, पट्टा आदि के प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
 9. किसी विवाद में संस्था की ओर से पैरवी करना।
 10. ट्रस्ट हेतु वाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना, ट्रस्ट (न्यास) के विकास के संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को तत् संबंधी कार्यवाही से अवगत कराना।
 11. ट्रस्ट की उन्नति के लिए दिशा निर्देश देना।
 12. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश, देश तथा विदेश के व्यक्तियों तथा शासन से अनुदान/दान प्राप्त करना।
 13. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धन को ट्रस्ट तथा अन्य संस्थाओं के विकास हेतु खर्च करना।
- ग) सदस्य ट्रस्टी का अधिकार तथा कतर्ब्य—

साधारण समा एवं प्रबन्धकारिणी समा के निर्देश पर बैठक में भाग लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थ रहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

सौदेगराम

101922 (कॉमिन डू) गण 20-7-78 अम.नं. 1916

के.ए.ए. मथुरा
हदाम विवेक। तह-दोस।
सकल नं. 129



RECEIVED
23/07/78
R.S. 20

INDIA NON JUDICIAL

RS. 30458

STATE OF UTTAR PRADESH

के अन्तर्गत तैयार किए गए हैं।

।

।

के अन्तर्गत तैयार किए गए हैं।

।

।

।

।

।

।

।

।

।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 904669

9. ट्रस्ट(न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संसोधन—

परिस्थितियों के अनुसार ट्रस्ट के नियमावली में संसोधन तथा परिवर्तन किया जा सकता है। यह संसोधन तथा परिवर्तन मुख्य ट्रस्टी, प्रबन्ध ट्रस्टी द्वारा सामूहिक सहमति से होगा।

10. ट्रस्ट के कोष—

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी। जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में मुख्य ट्रस्टी तथा प्रबन्ध ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा, परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं का खाता संबंधित संस्था के प्रशासन योजना के अनुसार संचालित होगा।

11. ट्रस्ट (न्यास) के आय-व्यय का लेखा परीक्षण—

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी आडिटर से संस्था का आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

12. ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरुद्ध आदालती कार्यवाही का संचालन का उत्तरदायित्व—

ट्रस्ट द्वारा या उसके विरुद्ध होने वाली समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ट्रस्टी समिति पर होगा। जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित्त नियुक्त कर सकती है।

सो. राम



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 904670

13. ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख—

ट्रस्ट के समस्त अभिलेख जैसे सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, चेकबुक, आडिट रिपोर्ट आदि प्रबन्ध ट्रस्टी के पास रहेगा।

14. ट्रस्ट (न्यास) के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही -

ट्रस्ट के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी। यदि संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था के सम्पूर्ण सम्पत्ति पर मुख्य ट्रस्टी व प्रबन्ध ट्रस्टी का बराबर अधिकार होगा।

15. अन्य—

1. संस्था को आयकर अधिनियम की धारा 12ए, 80जी, 10/23 व 35 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया जायेगा। जिससे आयकर अधिनियम 1961 के सुसंगत धाराओं का पालन किया जा सके।

सौरभराय



जिप २०१२ ०१-१-०२ एन एन ३०११ ११००

भारत सरकार
Government of India

श्रीधर राव
Saurabh Rao
जन्म तिथि / DOB: 09/07/1988
पुरुष / Male

8918 5890 1166

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारत सरकार
Government of India

पता
श्रीधर राव, एन.ए. ३०११, कोटा, मध्य प्रदेश, ४७१००३

Address
S/O Saurabh Rao, Farsara
Khand, Farsara Khand, Madh
Gotha, Uttar Pradesh, 275303

8918 5890 1166

भारत सरकार
www.aadhaar.gov.in

सौधर राव



१९१९ मीमांसा १००० ता २०-३-१८ २१-४ १९१६

देवे इनाम पाण्डे,
लाला विठ्ठल तह-खोली,
मक लो.नं. १२९



16



भारत सरकार
Nandlal
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1985
पुरुष / MALE



2431 8447 9043

आधार-आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UIDAI



पता
आसपास: राजीव गांधी
दरवार, राजीव गांधी
दरवार,
दिल्ली
पिन 110001 - 274601

Address:
JGD House, Rajiv Gandhi
Dargah, Delhi
Pin 110001 - 274601

2431 8447 9043

-Aam Admi ka Adhikar

1-दलाल यादव



आधार-आम आदमी का अधिकार



757575

101918 कीमत 100) ता 20-7-10 210-00-1916

देवेन्द्र नाथ पोखरा
स्टेशन बिक्रेता घोसी
मकान नं. 129



निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: 1

सौरभ राय

श्री सौरभ राय, पुत्र श्री रामाद्या राय
निवासी: सा० फरसरा खुर्द तह०
घोसी जन० मऊ
व्यवसाय: कृषि



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

नन्दलाल यादव

श्री नन्दलाल यादव, पुत्र श्री राजदेव यादव
निवासी: सा० परसिया देवार तह०
बरहज जन० देवरिया
व्यवसाय: कृषि
पहचानकर्ता: 2




सौरभ राय

श्री सौरभ राय, पुत्र श्री राजनाथ राय
निवासी: सा० पनईल तह० घोसी
जन० मऊ
व्यवसाय: कृषि



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगुठे नियमानुसार लिए गए है।
टिप्पणी:



17




सौरभ राय
Saurabh Rai
जनम तिथि / DOB : 12/11/1985
पुरुष / Male



3048 9385 3805

आधार - आम आदमी का अधिकार



संयुक्त राष्ट्र संघ
Unique Identification Authority of India

पता:
आलय: राजनाथ राय, पानेल, पनेरा
बिहटा, मऊ, पनेरा, उत्तर प्रदेश,
275303

Address:
S/O: Rajnath Rai, panel, Panail
Biheta, Mau, Panail, Uttar
Pradesh, 275303

3048 9385 3805

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in


www.uidai.gov.in

सौरभ राय



1917 क्र. 100) ता 20-7-18 21.70 - 1916

देवेन्द्र मण्डल
हस्ताक्षर निदेश तह-धोसी
मम (म. नं. 129



न्यास पत्र

प्रतिफल - 10000 स्टाम्प शुल्क - 1050 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिविधिकरण शुल्क - 100 योग
: 300

सौरभराय

श्री सौरभ राय,
पुत्र श्री रामाशा राय
व्यवसाय : कृषि
निवासी: सा० फरसरा खुर्द तह० धोसी जन०
मऊ



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक
30/07/2018 एव 03:01:40 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सत्येन्द्र कुमार यादव
उप निबंधक : धोसी
मऊ
30/07/2018

पवन कुमार श्रीवास्तव
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित



17



सर्वतः सरकार
Government of India
सौरभ राय
Saurabh Rai
जन्म तिथि / DOB : 12/11/1985
पुरुष / Male



3048 9385 3805

आधार - आम आदमी का अधिकार



संघीय अतिरिक्त पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
आलय: राजेश राय, पनौल, पनौल
बिहा, मंड, पनौल, उत्तर प्रदेश,
275303

Address:
S/O: Rajesh Rai, panail, Panail
Bihara, Mau, Panail, Uttar
Pradesh, 275303

3048 9385 3805

1800 900 1947

http://uaid.gov.in

www.uaid.gov.in

सौरभ राय





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 904671

2. प्रस्तावित महालक्ष्मी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से प्राप्त 10000 (दस हजार) रुपये प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है।

गवाहान

1.



न. ६ लाल मोदक मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर
 पुत्र राजदेव मोदक
 ग्राम + पोस्ट परसे भाँवा
 तहसील बरहज - फैसला
 8726458029

2.



सौरभ राय पुत्र राजनाथ राय
 ग्राम + पोस्ट - फनईब
 तहसील - घोड़ी
 जिला - मऊ
 मो. - 9454437088

दिनांक 30-7-2019

टाईपकर्ता - Dipak Kumar
 दीपक कुमार चौहान
 खुशबू डिजिटल स्टूडियो
 कुसुम्हाँ - मऊ

मशविदाकर्ता -

शुभक लाल का नाम दिनेश कुमार सिंह
 व ० न० तह० घोसी मऊ
 अनुसंधान सं० 59 तक विनिमय 31-3-2019
 कलकत्ता लेख सं० १० व दि०

30.7.2018

1914 की तरह 100) ता 20-7-18 सोरभराज पुल रामाद्या राफ स्व -
फरसखुर्द तह-चोली जनपद-कम

001

देवेन्द्रनाथ पाण्डेय
ह-राम्य विवेक तह-चोली
मक कां-नं-129



[Faint, mostly illegible text and stamps in the lower half of the page, including a large circular stamp and various lines of text.]



NAVAL'S NATIONAL ACADEMY

One of the Largest Chain of CBSE Affiliated School in Eastern U.P.
Dohrihat, Azamgarh Road, Mau, Uttar Pradesh

Ref.....

Date:





**Office of the District Basic Education Officer
MAU**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **NAVALS NATIONAL ACADEMY, AZAMGHARH ROAD NEAR HP PETROL PUMP DOHARIGHAT MAU** is provisionally recognized for Upper Primary(class 6 to 8). The Recognition number allotted to **NAVALS NATIONAL ACADEMY** is **MAU0962743433**. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

Valid From:24-03-2022 To:24-03-2023(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

New

4. School Type


Upper Primary School(6 to 8)

5. Recognition No.

MAU0962743433

DATE:- 24-03-2022

PLACE:- MAU


District Basic Education Officer



Office of the District Basic Education Officer

10000

LETTER OF SCHOOL RECOGNITION

It is hereby announced that the NAVAL'S NATIONAL ACADEMY located at DOHARIGHAT MAU is recognized as a school by the Ministry of National Education of Turkey. The school is established in accordance with the provisions of the Law on the Organization of Schools and the Regulation on the Organization of Schools.

The school is established on 10.05.2011 date.

(Signature)

Director

Director
Naval's National Academy
Doharighat-mau

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AAHTM1960A



नाम / Name
MAHALAKSHMI EDUCATIONAL AND WELFARE
TRUST

24/02/2017

प्रमाण / Date of incorporation
Date of incorporation/creation
30/07/2015

भारत सरकार
Government of India




Download Date: 12/07/2021



सांनभ कुमार राय
Saunabh Kumar Rai
जन तिथि/DOB: 05/07/1986
पुल्ल: MALE

Issue Date: 05/07/2021

8918 5890 1166

VID : 9174 2008 2224 4221

मेरा आधार, मेरी पहचान

आरक्षण विहित, सहायक अधिकरण
Unique Identification Authority of India




पता:
शंभु, रामदास राय, फसारा खुर्द, फसारा खुर्द, मऊ,
उत्तर प्रदेश - 275303

Address:
S/O: Ramadas Rai, Farsara Khurd, Farsara
Khurd, Mau,
Uttar Pradesh - 275303



8918 5890 1166

VID : 9174 2008 2224 4221

 1947 |
  help@uidai.gov.in |
  www.uidai.gov.in

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
SAURABH KUMAR RAI



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



RAMAGYA RAI

05/07/1988
Permanent Account Number
BKWPR2078C



सौरभ राय

Signature

20112018



**Mahalakshmi Educational
and Welfare Trust
Doharighat-Mau**